राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः योजना/विकास/बजट/2018/ दिनांकः

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त मुख्य चिकि0 एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के पदों का चिकित्सा संस्थानवार विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्टॉफिंग पैटर्न के अनुसार आपके/आपके अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) के स्वीकृत, रिक्त एवं अतिरिक्त पदों की आवश्यकता सहित मय औचित्य के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं की पूर्ति कर मय उक्त तालिकानुसार **अघतन सूचना 3 दिवस** में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में **सॉफ्ट कॉपी (Ms excel व Devlys010 फॉन्ट में) jdplan09@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी** भिजवाने का श्रम करावें।

निम्नांकित बिन्दु :–

1. शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर प्रति 10000 की आबादी पर एक कार्यकर्त्ता का पद स्वीकृत है या नही एवं आवश्यक्ता संख्या मय औचित्य।
   परिवार कल्याण के अर्न्तगत पूर्ण टीकाकरण का 90 प्रतिशत से अधिक करने के उद्वेश्य से मय होने की स्थिति में संभावित पदों को दृष्टिगत रखते हुये पदों की मांग और आरसीएच एक्टीवीटीज हेतु जैसे शहरी क्षैत्र जनसख्यां का घनत्व अधिक हों अथवा ऐसे उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनका क्षैत्र बहुत वृहद है एवं एक से अधिक कार्यकर्ता (एएनएम)की आवश्यकता प्रतीत होती है। साथ ही ऐसे क्षैत्र जो दुर्गम ईलाके में आतें है, उन स्थानों की भी आवश्यक्ता के औचित्य मय कारणों की सूचना प्रदत्त कराई जाये।
2. ऐसे उपकेन्द्र जिनके अन्तर्गत आने वाले गावों में ढाणियों की संख्या 25 से अधिक हो।
3. ऐसे उपकेन्द्र जिनकी आबादी 5000 से अधिक है तथा दो से अधिक गांव है।
4. ऐसे प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनके मुख्यालय पर कार्यरत एएनएम के पास एक से अधिक गांव है, तथा आबादी 5000 से अधिक है।

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम मय विवरण (जिला/उपजिला/सैटेलाईट/सीएचसी/पीएचसी/उप स्वा0 केन्द्र)	चिकित्सा संस्थान में एएनएम के स्वीकृत पदों की संख्या	चिकित्सा संस्थान में एएनएम के कार्यरत पदों का विवरण	चिकित्सा संस्थान में एएनएम के रिक्त पदों का विवरण	चिकित्सा संस्थान में आवश्यक्तानुसार एएनएम के पदों की मांग का विवरण	चिकित्सा संस्थान में एएनएम के आवश्यक मांग का औचित्य

निदेशक (जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः योजना/विकास/बजट/2018/ 46 दिनांकः 20/2/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. संयुक्त निदेशक (जोन – अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर) को भेजकर लेख है कि उक्त संबंध में अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही कर वांछित सूचना अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करावें।
2. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उकत पत्र को संबंधित की बेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

19/2/18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

C:\Plan Section\Letter-2016